न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
212 / 2023	05.06.2023	30.01.2024

उनवान

1. महावीर पुत्र श्री भूरदास बैरागी जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी– बड़ा महुआ तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. महादेव पुत्र श्री लक्ष्मण जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– महुआ कलॉ तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. शिवराज उर्फ गिरधारी पुत्र श्री लक्ष्मण जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– महुआ कलॉ तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०)
3. श्रीमती सोहनी पत्नी स्व० श्री लक्ष्मण जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– महुआ कलॉ तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. गोपाल पुत्र श्री भैरू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– महुआ कलॉ तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. बद्री पुत्र श्री भैरू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– महुआ कलाँ तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. श्रीमती मांगी पत्नी श्री भैरू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– महुआ कलों तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०)
7. रामगणी पुत्री श्री भैरू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– महुआ कलॉ तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. रामलाल पुत्र श्री भैरू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– महुआ कलो तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. हरफूल पुत्र श्री भैरू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– महुआ कलॉ तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. सुमित्रा देवी पत्नी श्री गिरीराज जागेटिया आयु वयस्क निवासी– भीलवाड़ा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाडा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी रामेश्वर लाल जाट
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा महुआकलां

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प0ह0 महुआकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 578 की अभिलिखित आराजियात 2142 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 व खाता संख्या 577 की अभिलिखित आराजियात 3084/2142 रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकिल प्रार्थी विपक्षी संख्या 10 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाहीं ड्रोप की जाती है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा महुआकलां प0ह0 महुआकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 578 की अभिलिखित आराजियात 2142 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2276 व खाता संख्या 577 की अभिलिखित आराजियात 3084/2142 रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा